

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)



सुवालाल

बनाम

कानाराम वगै०

किस्म मुकदमा दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मु०नं० 306 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/640

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24-06-2025	<p>रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से श्री नवीन कुमार यादव एडवोकेट उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक <u>7/8/25</u> को पेश हो।</p> <p></p> <p><b>राजवीर सिंह यादव</b> उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)</p> <p>सं० 25 पत्रावली पेश हुई। वकील गर्बी अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी गर्बी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः वादी का वाद पत्र अदम टाजरी भदम पैरवी में खरीज किया जाता है। पत्रावली कैशल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर रखिल हो।</p> <p></p>	

